

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 596 / नि0मु0 / लेखा / यात्रा-भत्ता / 2011 दिनांक

23, दिसम्बर 2011

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन/तकनीकी)
सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)
सहायक महाप्रबन्धक, डिपोज
सहायक लेखाधिकारी, (आडिट/म0प्र0(तक0)/संचा0 कार्यालय)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून/नैनीताल/टनकपुर।

विषय:- छठे वेतनमान के अनुसार यात्रा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

निदेशक मण्डल की 19वीं बैठक दिनांक 19.12.2011 में प्रस्तावित कार्यसूची मद संख्या-6 में निदेशक मण्डल के समक्ष छठे वेतनमान के अनुसार यात्रा भत्ते की दरों के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि चूंकि उत्तराखण्ड परिवहन निगम में छठा वेतनमान एवं उसके अनुरूप ही अन्य भत्ते यथा (मंहगाई, पर्वतीय तथा मकान किराया भत्ता) का वास्तविक लाभ 1 अक्टूबर, 2009 से (नगद) दिया जा रहा है अतः पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्मिकों को यात्रा भत्ता अनुमन्य ग्रेड पे के अनुरूप ही दिनांक 1.1.2012 से अनुमन्य किया जाये।

अतः उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0-सा0नि0), अनुभाग-7 संख्या 78/XXVII (7)/2009 दिनांक 1 मार्च 2009 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में प्राविधानित प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 1-1-2012 से एवं उसके पश्चात् की गई यात्राओं पर देय होगा, तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(पंकज तिवारी)
वित्त नियंत्रक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ब्यक्तिक सहायक प्रबन्धक निदेशक को महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
1. सचिव निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय देहरादून।
2. समस्त अधिकारी, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय देहरादून।
4. गार्ड फाईल निगम मुख्यालय।

42
25/12

वित्त नियंत्रक।

1/11/2009
Cashier

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-१
संख्या- ७४ / XXVII (7)/2009
देहरादून दिनांक: १ मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99-600/99 दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्थाओं को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करत है:-

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवकों को अधिकृत श्रेणी
यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवक अब नये वेतनमान में वायुयान, रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे।

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	अधिकृत श्रेणी
ग्रेड वेतन <u>रु०12000</u> तथा <u>HAG+</u> व उच्च	वायुयान का बिजनेस क्लास अथवा रेल का ए.सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एकजीव्युटिव क्लास
ग्रेड वेतन <u>रु०10000</u> तथा शासन के अपर सचिव जो ग्रेड वेतन <u>रु० 8900</u> में कार्यरत हों	वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेल का ए.सी.प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एकजीव्युटिव क्लास
ग्रेड वेतन <u>रु० 5400,6600,7600,8700</u> व <u>8900</u> (शासन के अपर सचिव को छोड़कर)	रेल का ए.सी. टू टियर/प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का चैयर कार
ग्रेड वेतन <u>रु० 4200,4600</u> व <u>4800</u>	रेल का ए.सी. थ्री टियर/प्रथम श्रेणी/ए.सी. चैयर कार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)
ग्रेड वेतन <u>रु० 4200</u> से कम	रेल का स्लीपर क्लास

जो स्थान रेल से जुड़े न हो:-ए.सी. टू टियर अथवा सच्च श्रेणी से यात्रा हेतु वायुयान राजकीय सेवक ए.सी.बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य को डी.टी.एस/साधारण बस यात्रा अधिकृत किया जा सकता है।

जो स्थान रेल से जुड़े हों:- रेल के अलावा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के अन्य माध्यमों से भी यात्रा की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किराया अनुमन्य रेल किराये से अधिक न हो।

यात्रा भत्ता देयक के साथ मूल टिकट/उसकी प्रति/टिकट संख्या संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(2) आनुषांगिक व्यय-

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषांगिक व्यय निम्न प्रकार से अनुमन्य होगा:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	आनुषांगिक व्यय की दरें प्रति किलोमीटर
ग्रेड वेतन रु0 8900,10000,12000 तथा HAG+ व उच्च	50 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200, 4600,4800,5400,6600, 7600 व 8700	35 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	20पैसे

वायुयान से की जाने वाली यात्राओं हेतु आनुषांगिक व्यय रूपया 50.00 प्रति यात्रा की दर से दिया जा सकता है।

(3) दैनिक भत्ता-

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी -

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
ग्रेड वेतन रु08900, 10000,12000 तथा HAG +व उच्च	रु0 350	रु0 250	रु0 200
ग्रेड वेतन रु0 4800, 5400,6600,7600 व 8700	रु0 250	रु0 190	रु0 160
ग्रेड वेतन रु0 4800 से कम	रु0 150	रु0 100	रु0 80

उपरोक्त तालिका के द्वितीय कालम में उल्लिखित नगरों में रु0 1400 अथवा अधिक ग्रेड वेतन माने वाले सरकारी सेवकों को होटल/अन्य संस्थान में ठहरने व स्थानीय यात्रा

